बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक **15** फरवरी, 2016

संख्या–1/पी05–10–03/2008 खण्ड–I गृ0आ0 **1126** / भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को पुलिस अधीक्षक कोटि से पुलिस उप–महानिरीक्षक कोटि वेतनमान Pay-Band-4; Rs. 37400-67000; Plus Grade Pay Rs. 8900, में प्रोन्नति प्रदान की जाती है :–

क्र0	पदाधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष
1	2	3
1.	श्री वरूण कुमार सिन्हा	2002
2.	श्री चन्द्रिका प्रसाद	2002
3.	श्री विनोद कुमार नं0–02	2002
4.	श्री सौरभ कुमार	2002

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(कौशलेन्द्र पाठक)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/पी05–10–03/2008 खण्ड–I गृ0आ0 **1126** / पटना, दिनांक **15** फरवरी, 2016

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (वेबसाईट : www.home.bih.nic.in) ।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/पी05–10–03/2008 खण्ड–I गृ0आ0 **1126** / पटना, दिनांक **15** फरवरी, 2016

प्रतिलपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/पी05–10–03/2008 खण्ड–I गृ0आ0 **1126** / पटना, दिनांक **15** फरवरी, 2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी अपर पुलिस महानिदेशक/सभी पुलिस महानिरीक्षक प्रक्षेत्र एवं मुख्यालय/सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक क्षेत्र एवं मुख्यालय/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस एवं गृह रक्षा वाहिनी/**सभी संबंधित पदाधिकारी**/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को (वेबसाईट:www.home.bih.nic.in) पर दर्शाने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं 5 गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ0आर0 22(1)(ए)(1) के निम्नांकित प्रावधान के तहत् आवश्यतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते है :–

"Under FR 22 (1) (a)(1) also there is a provisions that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be excersied within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post".

15/2/2016
सरकार के अपर सचिव